नगर निगम, गोरखपुर।

निविदा सूचना

सर्वसाधारण समस्त अधिकृत फर्मो एवं ठेकेदार को सूचित किया जाता है कि पथ प्रकाश विभाग, नगर निगम गोरखपुर द्वारा वित्तिय वर्ष 2026–2027 में स्ट्रीट लाइट से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की विद्युत सामग्री की आपूर्ति लिये जाने के लिए प्रति अदद की दरे निर्धारित किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है। किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, गोरखपुर को होगा।

निविदा डालने तिथि व समय

क्र.सं.	विवरण	दिनाँक एवं समय
1	निविदा फार्म की बिक्री तिथि व समय	27/4/2026 से 9/5/2026 3:00PM
2	निविदा डालने की अन्तिम तिथि व समय	11/05/2026, 3:00PM
3	निविदा खोलने की तिथि व समय	11/05/2026, 4:00PM

कार्यो का विवरण

क्र.सं.	विवरण	जमानत की धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1	विभिन्न विद्युत औजारों की आपूर्ति।	25000.00	350.00

नोटः– इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से नगर निगम गोरखपुर की बेवसाइट **www.gorakhpurnagarnigam.up.gov.in** / नोटिस बोर्ड पर देखते रहें क्योंकि निविदा के सम्बन्ध में काई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना बेवसाईट व नोटिस बोर्ड पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रभारी अधिकारी (प0प्र0)
नगर निगम गोरखपुर,।

नगर निगम, गोरखपुर

पथ प्रकाश विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के विद्युत औजारों की आपूर्ति हेतु प्रति अदद की दर निर्धारण के लिए आमंत्रित ई–निविदा की विस्तृत नियम एवं शर्तें–

1. विभिन्न विद्युत सम्बन्धित औजारों की आपूर्ति हेतु अलग–अलग प्रति अदद / प्रति मीटर की दरे प्राप्त किये जाने के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र शुल्क रूपया 350.00 (With GST) अदा कर (जो वापस नहीं होगी) निविदा प्रकाशित होने के दिनांक 27/4/2026 से दिनांक 9/5/2026 तक ही किसी भी कार्य दिवस मे पथ प्रकाश कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है।
3. निविदा के साथ प्रभारी अधिकारी (पथ प्रकाश), नगर निगम, गोरखपुर के पक्ष में बंधक रखते हुए रू. 25,000.00 धरोहर एन0एस0सी0 / एफ0डी0आर0 जमा करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा खुलने की तिथि पर आकस्मिक अवकाश पड़ जाने पर निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
5. तकनीकि प्रस्ताव, वित्तीय प्रस्ताव एवं सत्यंकार धनराशि (अर्नेस्ट मनी) पृथक–पृथक लिफाफों में बन्द करते हुए तीनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सील बन्द कर निविदा डाली जायेगी। तकनीकि रूप से अर्ह एवं निर्धारित सत्यंकार धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जमा करने वाली सेवा प्रदाता फर्मों / गैर सरकारी संगठनों / समितियों / संस्थानों के ही वित्तीय प्रस्ताव खोलो जायेगा।
6. पूर्ण रूप से भरे हुए एवं यथा–स्थान हस्ताक्षरित तकनीकि व वित्तीय प्रस्ताव पर ही विचार किया जायेगा।
7. निविदादाता को तकनीकी प्रस्ताव के साथ निविदा मूल्य जमा करने सम्बन्धी मूल रसीद एवं निम्न प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   a. धरोहर धनराशि एवं निविदा मूल्य जमा करने की सम्बन्धी मूल रसीद।
   b. प्रत्येक बिड्स के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ / प्रपत्र की सत्यता एवं किसी सरकारी / अर्ध–सरकारी / गैर सरकारी संस्था में ब्लैक–लिस्टेड नहीं है के सम्बन्ध में नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   c. जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की कापी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   d. पैन कार्ड एवं अद्यतन 3 वर्ष का ITR
   e. हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र।
   f. 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।
8. तकनीकी प्रस्ताव में अर्ह पाये जाने वाले निविदादाता का ही वित्तीय प्रस्ताव खोला जायेगा।
9. निविदा प्रपत्र एवं कोई भी जानकरी के लिए सम्बन्धित कार्यालय नगर निगम, गोरखपुर से किसी भी कार्य दिवसों में प्राप्त की जा सकती है।
10. विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि / समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना नगर निगम गोरखपुर की बेवसाइट https://gorakhpurnagarnigam.up.gov.in / नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जायेगी। प्रत्येक निविदादाता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निविदा की प्रक्रिया सुरू होने के पश्चात् निविदा के सम्बन्ध में होने वाले किसी भी संशोधन / शुद्धि–पत्र की जानकरी प्राप्त करता रहे, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
11. नियम एवं शर्तो सहित अन्य प्रपत्र पर निविदादाता का सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।
12. यदि ठेकेदार / फर्म / संस्थान द्वारा संलग्न किये गये प्रपत्र जांच के समय असत्य पाया जाता है तो सम्बंधित ठेकेदार / फर्म / संस्थान के प्रति अभियोग पंजीकृत करते हुए ब्लैक लिस्ट कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
13. सशर्त एवं एकल निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
14. सफल निविदादाता द्वारा यदि समय से आपूर्ति नहीं किया गया तो नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर को यह अधिकार होगा कि वह कार्य को किसी अन्य से करा लें तथा इस प्रक्रिया में जो निगम को अधिक व्यय करना होगा वह निविदादाता के धरोहर धनराशि से जब्त करके पूर्ण कर लिया जायेगा।
15. निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम गोरखपुर के पास सुरक्षित होगा, किसी भी ववाद के सम्बन्ध मे नगर आयुक्त, नगर निगम गोरखपुर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
16. किसी वाद की दशा में न्याय क्षेत्र गोरखपुर नगर आयुक्त का होगा।

प्रभारी अधिकारी (प0प्र0)
नगर निगम गोरखपुर,।